AVVNL-Rule-497

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001

No. AVVNL/CAO(R&C)/AAO (Rule)/F 10 /OO/D.1660 Dated 13.7.2011

ORDER

Sub:- GoR's circular dated 17.5.2011, regarding reimbursement of Bus- Rail fare, to all the candidates called for interview.

The Co-ordination Committee, AVVNL in its 149th meeting held on 15th June, 2011, has accorded its approval to adopt and circulate the Department of Personnel, GoR's Circular No.F 8(3) Karmik /Ka-2/2011 dated 17 May 2011 (copy enclosed), in the Nigams, being the policy of the State Accordingly, it is directed to reimburse the Bus-Rail fare of to and fro journey from the residence (address for postal correspondence) to interview point, to all the unemployed candidates called for interview during direct recruitment process.

This order is subject to ratification by the Board of Directors.

By Order,

(M. K. Jain)
Chief Accounts Officer (R&C)
AVVNL, Ajmer

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), AVVNL, ______.
2. The Chief Engineer (RDPPC), AVVNL, Jaipur.
3. The Chief Accounts Officer (ATB/ IA - W&M), AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Zonal Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu.
6. The Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, ______
7. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW), AVVNL, Ajmer / Bhilwara/ Nagaur/Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar/ Dungarpur/ Pratapgarh with the request to circulate this order among division/Sub-division under his control.
8. The Superintending Engineer (IT) AVVNL Ajmer, with the request to upload it at Nigam's website.
9. The Company Secretary, AVVNL/RRVPNL, Ajmer/ Jaipur.
10. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
11. The TA to Managing Director, AVVNL, Ajmer.
12. Dy. Director of Personnel (AZ / UZ / JJZ) , AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu
13. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/Budget/W&M), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/Nagaur/Udaipur/Chittorgarh/Banswara/Rajsamand/Sikar/JJN.
14. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, ______.
15. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
17. The P.A. To Director (Technical), AVVNL, Ajmer.

XEn(IT) / Sh Sunil

Asstt. Accounts Officer (Rule)

R.R No. 562 Dt. 22/7/11
S.E (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प0 8(3)कार्मिक/क–2/2011 जयपुर, दिनांक 17-05-2011

परिपत्र

विषयः साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाये जाने पर बस–रेल किराये की राशि के पुनर्भरण के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं इत्यादि में विभिन्न पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान होता है। तदनुसार अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं संबंधित विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्धारित साक्षात्कार स्थल पर अपने स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होते है।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में जिन पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों पर भर्ती प्रकिया के दौरान साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर प्रार्थी के निवास स्थान (पत्र व्यवहार का पता) से साक्षात्कार स्थल तक आने–जाने हेतु लघुतम मार्ग का बस का साधारण किराया या रेल का द्वितीय श्रेणी के साधारण किराये के बराबर राशि, जिससे वास्तविक यात्रा की हो, का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

यदि अभ्यर्थी का निवास स्थान तथा पत्र व्यवहार का पता अलग–अलग है तो उसे पत्र व्यवहार के पते से किराये का पुनर्भरण देय होगा। यह सुविधा सभी वर्गो के बेरोजगार अभ्यर्थियों को देय होगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी अन्य राजकीय विभाग, निगम, बोर्ड में नवीन नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर, सभी वर्गो के बेरोजगार अभ्यर्थियों को, बस–रेल किराये की राशि के पुनर्भरण के प्रस्ताव के क्रम में राशि का भुगतान सा.वि.ले.नि. के भाग–I के नियम 74 के अनुसार स्थाई पेशगी से नकद किया जा सकता है। यदि किसी विशेष विभाग में भुगतान की राशि ज्यादा हो तो सा.वि.ले.नि. भाग–II के आईटम 26 (ii) के अनुसार राशि का अग्रिम आहरण कर भुगतान किया जा सकता है।

उक्त पुनर्भरण निम्न शर्तो के अध्यधीन देय होगा:–

1. किराये की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने से पूर्व अभ्यर्थी के बेरोजगार होने का घोषणा पत्र (Undertaking) साधारण कागज पर प्राप्त किया जावे।
2. यदि अभ्यर्थी निकटतम रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन तक पहुँचनें के लिये टैक्सी या अन्य साधन से यात्रा करता है, तो उसका किराया देय नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी को निवास स्थान से गंतव्य स्थान का रेल/बस का टिकिट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारण से टिकिट प्रस्तुत किया जाना संभव न हो तो सादे कागज पर यात्रा करने का लिखित में घोषणा पत्र (Undertaking) प्राप्त किया जावे।

यह आदेश जारी होनें की तिथि से प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101101311 दिनांक 15–05–2011 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते है।

17.5.11
प्रमुख शासन सचिव